न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2024

बउनवान

भूलीबाई आयु 65 वर्ष पुत्री भंवरलाल पत्नि नारायण जाति कलाल, निवासी ग्राम बड़ां तहसील बारां हाल निवासी शिव कॉलोनी बारां जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

1. महावीर पुत्र श्री बाबूलाल जाति कलाल निवासी ग्राम बडां तहसील व जिला बारां, राज0
2. भैरीबाई आयु 75 वर्ष पुत्री भंवरलाल पत्नि हीरालाल जाति कलाल निवासी बड़ां तहसील बारां हाल निवासी खण्डी तहसील खानपुर जिला झालावाड़, राज0
3. कंचनबाई आयु 73 वर्ष पुत्री भंवरलाल पत्नि गंगाराम जाति कलाल निवासी ग्राम बड़ां तहसील बारां हाल निवासी ग्राम सूमर तहसील खानपुर जिला झालावाड़, राज0
4. जानकीबाई आयु 70 वर्ष पुत्री भंवरलाल पत्नि पन्नालाल जाति कलाल ग्राम बड़ां तहसील बारां हाल निवासी डीसीएम कोटा, जिला कोटा, राज0
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राज0) (रेंस्पोडेंटगण)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध इन्तकाल नं0 147 दिनांक 25.05.1989

उपस्थिति :– 1. श्री बृजराज सिंह चौहान एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट कम 1)
3. श्री धर्मेन्द्र सिंह सौलंकी एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट कम 4)

निर्णय दिनांक 07.08.2024

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक भंवरलाल एवं उसकी पत्नि मृतक केसरबाई के अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 2 ता 4 वारिसान हैं। मृतक भंवरलाल की मृत्युपरान्त उनके खाते व कब्जेकाश्त की आराजी किता 6 कुल रकबा 5.04 है. ग्राम बड़ां तहसील बारां का इन्तकाल भंवरलाल की पत्नि केसरबाई के पक्ष में तस्दीक हुआ। केसरबाई का भी स्वर्गवास हो चुका है। अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 2 ता 4 मृतका केसरबाई की वारिसान हैं इनके अतिरिक्त केसरबाई के अन्य कोई सन्तान नहीं है। रेस्पो0 कम 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त केसरबाई के 1/2 हिस्से का इन्तकाल बदनियतिपूर्वक स्वंय के नाम खुलवा लिया जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 2 ता 4 मृतका के विधिक वारिस होने से उसके हिस्से की आराजी का विधिवत इंतकाल दर्ज होना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मृतका के वारिसान के बारे मे पूर्ण जानकारी प्राप्त किये बिना एकतरफा बिना अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये मृतका के हिस्से की आराजी का इंतकाल रेस्पो0 कम 1 के पक्ष में खोल दिया जो अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल नं. 147 दिनांक 25.05.1989 निरस्त फरमावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पो0 कम 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पो0 कम 1 तथा रेस्पो0 कम 4 जर्ये पृथक पृथक अभिभाषकगण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक केसरबाई की आराजीयात में अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 2 ता 4 का नाम दर्ज नहीं कर अन्य के नाम से इंतकाल खोलकर तस्दीक कर दिया। जबकि इसी ग्राम बड़ां की आराजीयात मुताबिक जमाबंदी खाता संख्या 364 संवत् 2073–76 में अपीलांट सहित मृतक के समस्त वारिसान का नाम अंकित है। अतः ग्राम बड़ां का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.09.02 10:34:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

इंतकाल नं. 147 दिनांक 25.05.1989 निरस्त फरमावें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने विधिक दृष्टांत आरबीजे (25) 2018 पृष्ठ संख्या 258 का अवलोकन करवाया।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1 ने पत्रावली में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील 34 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है जबकि अपील इंतकाल पेश करने की मियाद जिस दिन इंतकाल तस्दीक होता है उस दिन से 30 दिन की होती है। अपीलांट भूली बाई की उम्र 65 वर्ष है और उसकी शादी बारां तहसील बारां में हुई है तथा बारां एवं बड़ां की दूरी 10 किलोमीटर है। भूलीबाई की शादी यदि 20 वर्ष की उम्र में हुई है तो उसकी शादी हुये 45 वर्ष हो चुके हैं। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने अंकित किया है कि वह जब अपने पीहर बड़ां आई व गांव वालों ने उसको बताया, जो दिनांक 12.09.2023 की तारीख बताई तो क्या भूलीबाई 20 वर्ष की उम्र में शादी होने के बाद कभी बड़ां नहीं आयी। इस कारण यह कथन कि वह इन 45 वर्षों में कभी बड़ां नही आयी हो यह बात मानने योग्य नहीं है। इस कारण दफा 5 का प्रार्थना पत्र प्रथमतया झूठा व बेबुनियाद होने से निरस्तनीय है। ग्राम बड़ां का इंतकाल नंबर 3 दिनांक 04.02.1985 भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र के फौत होने पर खोला गया था जिस पर भंवरलाल का सजरा अंकित किया गया है जिसमें बेवा केसरबाई तथा तीन लड़कियां भैरी, जानकी और भूली बताई है। लड़का नहीं बताया किन्तु इसमें केसर बेवा भंवरलाल के साथ महावीर पुत्र बाबूलाल नाबालिग का नाम दर्ज किया गया है। क्योंकि स्वंय भंवरलाल ने महावीर को गोदपुत्र रखा था और एक तहरीर गोदनामा दिनांक 08.03.1982 का गांव वालों के समक्ष लिखवाया था, जिसको समस्त गांववालों ने तस्दीक किया था। इंतकाल नंबर 147 दिनांक 25.05.1989 को खोला गया जिसमें केसर बेवा भंवरलाल के फौत होने पर उसके सम्पूर्ण हिस्से 1/2 पर महावीर का नाम दर्ज किया गया उस समय भी पुत्रियों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई क्योंकि उस समय तक भी हिन्दू लॉ में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं था। पुत्रियों को अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद आया है और भंवरलाल व केसरबाई दोनो ही 2005 से पूर्व फौत हो गये थे। इस प्रकार भंवरलाल की जायदात में भूलीबाई का कोई हक व हिस्सा नहीं है। जब एक बार भंवरलाल के फौत होने पर उसने आपत्ति नहीं की तो अब वह आपत्ति नहीं कर सकती। सह इंतकाल अपील 34 वर्ष बाद पेश की गई है जो लिमिटेशन के प्रश्न पर ही खारिज होने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1 ने विधिक दृष्टांत आरआरडी 14.08.2009 पृष्ठ संख्या 465, 2016(1) आरआरटी 29, 2018(2) आरआरटी 1386 तथा आरआरडी 14.07.2018 पृष्ठ संख्या 409 का अवलोकन करवाया तथा अपील अपीलांट खारिज करने की इस्तदुआ की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने अंकित किया है कि उसे अपीलाधीन इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी जब अपीलांट पीहर में आयी तो गांव वालों द्वारा बताने पर हुई इस पर दिनांक 12.09.2023 को नकल हेतु आवेदन किया गया दिनांक 22.09.2023 को नकल प्राप्त हुई। अपीलाधीन इंतकाल दिनांक 25.05.1989 को खोला जाकर तस्दीक किया गया है। जो कि अपील प्रस्तुत करने से 34 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व खोला गया है। 34 वर्ष से अधिक समय के पश्चात अपील पेश करने का कोई उचित, युक्तियुक्त एवं तथ्यात्मक कारण होना अवगत नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट मियाद बाहर होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को सुनाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashv Singh Tomar
Date: 2024.09.02 10:34:15 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)